कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा।

पत्रांक 2581 /14–1, दिनांक, अमरोहा, अप्रैल 17 2018,

सेवा में,

डिवीजनल मैनेजर,
एस्सार ऑयल लि0
ए–5, से0–3 नोएडा।

विषय :– अमरोहा में बदायूं–बिजनौर मार्ग (एन.एच–51) किमी0 113.100 की दांयी पटरी पर ग्राम निजामपुर शर्की के खसरा नं0 79 में एस्सार आयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075028 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ :– वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र सं0 8बी/06/45/2017/एफ0सी0/34 दिनांक 13.04.2018

उपरोक्त विषयक वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्र सं0 8बी/06/45/2017/एफ0सी0/34 दिनांक 13.04.2018 का अवलोकन करें, जो अधोहस्ताक्षरी एवं आपको पृष्ठांकित है।

उक्त पत्र की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है, कि आप सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गयी, सभी शर्तो का अनुपालन करते हुए निम्न प्रकार धनराशि ई–पोर्टल के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा करते हुए उत्पन्न चालान से जमा कराकर जमा की गई धनराशि की पुष्टि हेतु Online Payment History की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।

शर्त–1 100 वृक्षों की क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 16450.00 कैम्पा नई दिल्ली में जमा करते हुए ई–चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।

(क) शर्त संख्या–1 क के अनुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) रू0 46968.00 कैम्पा नई दिल्ली में जमा करते हुए ऑनलाईन ई–रसीद की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।

(ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ।

(ग) इस आशय का बचनबद्वता प्रमाण–पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करें कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

उपरोक्त कार्यवाही तत्काल पूर्ण करते हुए जमा धनराशि के चालान अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में मय अन्य शर्तो के अनुपालन सहित प्रस्तुत करे।

संलग्नक :–उपरोक्तानुसार।

(रमेश चन्द्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
अमरोहा।
17/4

पत्रांक / दिनांकित।

1. प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0लखनऊ की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपि क्षेत्रीय वनाधिकारी हसनपुर को इस आशय से प्रेषित कि आप वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में सूचना/प्रमाण–पत्र तत्काल प्रस्तुत करें।

(रमेश चन्द्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा